

प्रपक,

डॉ० सुधीर एम० बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

राव० म०

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास, पंचायती राज एवं वन विभाग,
उ०प्र० शासन।

2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 11 मई, 2019

विषय:-स्थायी एवं अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल, कान्हा उपवन, कांजी हाउस के स्थलीय निरीक्षण तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश में स्थापित स्थायी एवं अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल, कान्हा उपवन, कांजी हाउस में संरक्षित गोवंश के स्थलीय निरीक्षण तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण हेतु पशुपालन विभाग द्वारा तैयार किये गये प्रारूप की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में स्थापित स्थायी एवं अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल, कान्हा उपवन, कांजी हाउस में संरक्षित गोवंश का स्थलीय निरीक्षण कराते हुए स्थायी एवं अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल, कान्हा उपवन, कांजी हाउस की निरीक्षण आख्या तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निर्धारित प्रारूप पर कृपया विशेष सचिव, पशुधन अनुभाग-2 एवं अपर निदेशक, गोधन, पशुपालन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ० सुधीर एम० बोबडे)

प्रमुख सचिव।

संख्या-1243(1)/सैंतीस-2-2019तददिनांक।

प्रतिलिपि भिन्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी, उ०प्र० शासन।
- (2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, गृह, ग्राम्य विकास, राजस्व, कृषि, आबकारी, उद्योग, लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन।
- (3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- (4) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- (5) निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित प्रारूप को पशुपालन विभाग के समस्त अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को ई-मेल अथवा दादसअप के माध्यम से आज ही भेजते का कष्ट करें।
- (6) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग, उ०प्र०
- (7) सचिव गो-सेवा अयोग, 10वां तल इन्दिरा भवन, लखनऊ

आज्ञा से,

(डॉ० सुधीर एम० बोबडे)

प्रमुख सचिव।

शासनादेश संख्या 1243/सैंतीस-2-2019-5(53)/18अी0सी0-4 का संलग्नक

स्थायी एवं अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति हेतु प्रारूप

भ्रमण की तिथि :

जनपद का नाम :

स्थल/ग्राम का नाम :

विकास खण्ड :

तहसील :

स्थायी/अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल : कान्हा गोशाला/कांजी हाउस/
अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल

क्र०स०	मद	विवरण / आख्या
1	स्थल का प्रकार जिसपर स्थायी/अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल का निर्माण हुआ है। • बंजर/ग्राम सभा की भूमि • दान में प्राप्त भूमि-अभिलेख का परीक्षण किया जाना। • किसी राजकीय संस्था द्वारा हस्तान्तरित भूमि-हस्तान्तरण की कार्यवाही/अभिलेख देखा जाना। • अन्य स्रोत यदि हो- विवरण उपलब्ध कराया जाना।	
2	स्थल की जियो टैगिंग हुई है, यदि नहीं तो क्यों Latitude (अक्षांश) Longitude (देशान्तर)	
3	ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत गोवंश को गर्मी एवं धूप से बचाव हेतु तात्कालिक व्यवस्था क्या है जब तक छायादार वृक्ष छाया देने योग्य हों	
4	आश्रय स्थल पर उपलब्ध अभिलेख • गोवंश संख्या पंजिका ➤ आश्रय स्थल की स्थापना के संबंध में एक या दो पृष्ठ में पृष्ठभूमि का वर्णन हो।	

शासनादेश संख्या 1243 / सैंतीस-2-2019-5(53) / 18अी0सी0-4 का संलग्नक

	➤ प्रतिदिन के गोवंश की संख्या ➤ जियों टैगिंग का विवरण ➤ इयर टैगिंग का विवरण-गोवंशवार • भूसा एवं दाना पंजिका • दैनिक श्रमिक पंजिका जिसमें प्रतिदिन काम पर लगाये गए श्रमिकों का नाम, पिता का नाम, पता एवं संपर्क सूत्र एवं स्त्रोत अंकित हो – कुल दैनिक श्रमिकों की संख्या- कुल मैन डेज-स्थापना की तिथि से भ्रमण की तिथि तक • भ्रमण पंजिका जिसमें भ्रमण पर जाने वाले अधिकारियों द्वारा दिए गये निर्देश एवं अन्य कार्यवाहियों का उल्लेख हो • दान/चन्दे से प्राप्त सामग्रियों/धन का रजिस्टर जिसमें भूसा/दाना/धनराशि का उल्लेख हो • यदि चन्दे के रूप में धनराशि प्राप्त हुई है तो स्थल के खोले गये बैंक खाते में जमा करने की तिथि/तिथियाँ एवं धनराशि का उल्लेख हो • मृत पशु विवरण पंजिका • बैंक खाते का विवरण ➤ खाता संख्या ➤ आई0एफ0एस0सी0 ➤ बैंक शाखा ➤ खाता नाम ➤ कुल क्रेडिट धनराशि रू0 में ➤ कुल डेबिट धनराशि रू0 में ➤ कुल क्रेडिट ब्याज रू0 में ➤ भ्रमण के दिन खाते में उपलब्ध /शेष धनराशि रू0 में	
5	क्या जनपद द्वारा धनराशि की माँग की गयी है	

शासनादेश संख्या 1243 / सैंतीस-2-2019-5(53) / 18अी0सी0-4 का संलग्नक

	➤ तिथि ➤ धनराशि जिसकी माँग है ➤ यदि नहीं तो क्यों / कारण	
6	स्थायी/अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर निर्माण • कुल क्षेत्रफल-एकड़ में • गोवंश शेड-क्षमता-आकार/क्षेत्रफल • चाहरदिवारी- किस प्रकार की है, खाई/बायोफेंसिंग/कटीले ताल/पक्की अर्थात सिमेन्टेड/लकड़ी द्वारा/- कुल रनिंग मीटर • पीने के पानी की व्यवस्था- कुल वाटर टर्फ की संख्या एवं आकार प्रति • खाना खाने हेतु चरहियों/नादों की व्यवस्था एवं आकार प्रति • पीने के पानी का स्रोत क्या है • भूसा/दाना गोदाम- भूसा एवं दाना संग्रह हेतु स्थान का विवरण यथा क्षमता, आकार • गोवंश को आराम करने हेतु खुला स्थान- क्षेत्रफल एकड़ में • चौकिदार के रहने हेतु व्यवस्था	
7	भ्रमण के समय कुल गोवंश संख्या • कुल मादा गोवंश ➤ दूध में ➤ सूखी ➤ हिफर ➤ 1-3 वर्ष ➤ 1 वर्ष से कम • कुल नर गोवंश ➤ 3 वर्ष से अधिक ➤ 1-3 वर्ष ➤ 1 वर्ष से कम • कुल गोवंश संख्या • क्या समस्त नर गोवंश का बन्ध्याकरण हुआ है-संख्या	

शासनादेश संख्या 1243/सैंतीस-2-2019-5(53)/18अी0सी0-4 का संलग्नक

	• यदि नहीं तो क्यों • स्थल की स्थापना से भ्रमण की तिथि तक एक दिन में गोवंश की औसत संख्या अर्थात् प्रतिदिन गोवंश की संख्या का योग भागे कुल दिनों की संख्या • अशक्त गोवंश की संख्या • दुर्घटनाग्रस्त गोवंश • बाँझपन से ग्रसित गोवंश • स्थायी अनुवर्तता (Permanent Sterility) से ग्रसित गोवंश	
8	आश्रय स्थल में संरक्षित गोवंश की टैगिंग की स्थिति ➤ समस्त गोवंश को है ➤ समस्त को नहीं है तो कारण	
9	स्थापना की तिथि से भ्रमण की तिथि तक कुल क्रय किए गये भूसे की मात्रा, निर्गत मात्रा एवं भ्रमण के समय शेष मात्रा कुन्तल में – स्थलीय सत्यापन में पायी गयी मात्रा कुन्तल में	
10	स्थापना की तिथि से भ्रमण की तिथि तक उपरोक्त कुल भूसे की मात्रा में से दान में प्राप्त भूसे की मात्रा कुन्तल में	
11	स्थापना की तिथि से भ्रमण की तिथि तक कुल क्रय किए गये दाना/संकेन्द्रित आहार की मात्रा, निर्गत मात्रा एवं भ्रमण के समय शेष मात्रा कुन्तल में – स्थलीय सत्यापन में पायी गयी मात्रा कुन्तल में	
12	क्या वर्तमान समय में भूसे का भण्डारण किया गया है ➤ यदि हाँ तो एक मुस्त/अधिक मात्रा में क्रय एवं संरक्षित किए गये भूसा की दर प्रति कुन्तल ➤ यदि नहीं तो क्यों—स्पष्ट उल्लेख एवं कारण जिसके कारण क्रय नहीं किया जा सका	

शासनादेश संख्या 1243/सैंतीस-2-2019-5(53)/18जी0सी0-4 का संलग्नक

	➤ भूसा क्रय किए जाने हेतु अपनायी जा रही पद्धति ➤ क्या संरक्षित भूसा आगामी 12 माह हेतु पर्याप्त है/लगभग संरक्षित है	
13	अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल हेतु चिन्हांकित स्थलों को कृषि योग्य (विशेषतः चारा उगाने योग्य) बनाने हेतु संबन्धित विभाग द्वारा किए गये प्रयास ➤ यदि हाँ तो क्या-चारा क्षेत्रफल, प्रजाति जो बोई गयी है, कुल अद्यतन उत्पादन, भविष्य की योजना क्या है, बीज की उपलब्धता का स्रोत क्या है, चारा हेतु सिंचाई की व्यवस्था क्या है इत्यादि पर विस्तृत विवरण/आख्या ➤ यदि नहीं तो क्यों-स्पष्ट कारण, हरे चारे की उपलब्धता कैसे पूरी की जा रही है	
14	जल संरक्षण व तालाब का निर्माण ➤ यदि है तो क्षेत्रफल तथा संधारित जल ➤ यदि नहीं तो क्यों	
15	वृक्षारोपण की अद्यतन प्रगति ➤ यदि हाँ तो संख्या एवं प्रजाति जिनका वृक्षारोपण किया गया, कब किया गया, वृक्षों की स्थिति तथा वृक्षों के रख-रखाव हेतु वाचर (watcher) आदि कार्मिक की तैनाती-संख्या ➤ यदि नहीं तो क्यों- गर्मी से बचाव हेतु क्या संसाधन/उपाय किये गये हैं।	
16	सौर ऊर्जा एवं/अथवा विद्युत प्रकाश की अद्यतन व्यवस्था ➤ यदि हाँ तो संख्या एवं किस स्रोत से किया गया ➤ यदि नहीं तो क्यों	
17	आश्रय स्थल पर उपलब्ध श्रमिक द्वारा	

शासनादेश संख्या 1243/सैंतीस-2-2019-5(53)/18अी0सी0-4 का संलग्नक

	गौवंश को खिलाने की व्यवस्था, गोबर एकत्र करना, दूध निकालना, सफाई व्यवस्था करना आदि से संबन्धित रेटिंग अर्थात् 10 नम्बर में से कितने नम्बर ➤ उत्कृष्ट-10 नम्बर ➤ अति उत्तम-8 नम्बर ➤ उत्तम-6 नम्बर ➤ सामान्य- 3 नम्बर ➤ मध्यम सामान्य- 2 नम्बर ➤ खराब-1 नम्बर ➤ असन्तोषजनक- शून्य	
18	गोवंश आश्रय स्थल पर संरक्षित पशुओं की चिकित्सा संबंधी सेवायें स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा, कृमिनाशक दवापान, बन्ध्याकरण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान एवं मृत पशुओं का शव परीक्षण आदि से संबन्धित रेटिंग अर्थात् 10 नम्बर में से कितने नम्बर ➤ उत्कृष्ट-10 नम्बर ➤ अति उत्तम-8 नम्बर ➤ उत्तम-6 नम्बर ➤ सामान्य- 3 नम्बर ➤ मध्यम सामान्य- 2 नम्बर ➤ खराब-1 नम्बर ➤ असन्तोषजनक- शून्य	
19	गोवंश को रखने वाले स्थान पर पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन की व्यवस्था से संबन्धित रेटिंग अर्थात् 10 नम्बर में से कितने नम्बर ➤ उत्कृष्ट-10 नम्बर ➤ अति उत्तम-8 नम्बर ➤ उत्तम-6 नम्बर ➤ सामान्य- 3 नम्बर ➤ मध्यम सामान्य- 2 नम्बर ➤ खराब-1 नम्बर ➤ असन्तोषजनक- शून्य	

शासनादेश संख्या 1243/सैंतीस-2-2019-5(53)/18310सी0-4 का संलग्नक

20	मृत पशुओं के शव निस्तारण की व्यवस्था के संबन्ध में विस्तृत आख्या अर्थात् किस प्रकार किया जाता है	
21	गोवंश आश्रय स्थलों पर जनरेटर, एम्बुलेन्स वाहन आदि की व्यवस्था है तो उससे संबन्धित लाग-बुक एवं व्यवस्था के संबन्ध में संक्षिप्त आख्या	
22	अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलो को आर्थिक/वित्तीय रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु किए जा रहे प्रयास ➤ यदि हाँ तो क्या- विस्तृत विवरण/आख्या ➤ यदि नहीं तो क्यों-स्पष्ट कारण	
23	कृषक/पशुपालक द्वारा स्वामित्व के पशुओं को निराश्रित/बेसहारा के रूप में छोड़ने पर रोक लगाने हेतु कार्यवाही यदि की गयी है तो उसका विवरण	

गोवंश आश्रय स्थल के संबन्ध में स्वयं का मन्तव्य:

कान्हा गोशाला/कांजी हाउस/अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की ओवरआल रेटिंग

- उत्कृष्ट-10 नम्बर
- अति उत्तम-8 नम्बर
- उत्तम-6 नम्बर
- सामान्य- 3 नम्बर
- मध्यम सामान्य- 2 नम्बर
- खराब-1 नम्बर
- असन्तोषजनक- शून्य